संख्या-226/2016/992/22-2-2016-17(20)/2005

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 04 नवम्बर, 2016***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जय प्रकाश पुत्र श्री उमाशंकर राय निवासी-जनपद-जौनपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-17010/प्रो0-5-दया0-अन्य-118/19-05-2016 दिनांक 01-06-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जय प्रकाश पुत्र श्री उमा शंकर राय, निवासी- ग्राम-लखीमपुर, थाना-जलालपुर जनपद-जौनपुर वर्तमान पता-ग्राम-वादीपुर, थाना-मिर्जामुराद, जिला-वाराणसी का रहने वाला है। बन्दी द्वारा ग्राम प्रधान की चुनावी रंजिश को लेकर दिनांक 07/08-05-1984 को 14 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, कटटा लाठी व बल्लम से मारकर 11 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी है। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-203/1984 में भा0द0वि0 की धारा-148,307/149,302/149 के अन्तर्गत मा0 विशेष सत्र न्यायाधीश, जौनपुर द्वारा दिनांक 19-02-1996 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी के 06 सहअभियुक्त मा0 न्यायालय द्वारा दोषमुक्त, 03 सहअभियुक्त की मृत्यु, 01 सहअभियुक्त जमानत पर बाहर, 01 सहअभियुक्त इस कारागार में निरूद्ध नहीं तथा 03 सहअभियुक्त कारागार में सजा भुगत रहे है। बन्दी द्वारा दिनांक 12.04.2016 तक 31 वर्ष 07 माह 03 दिन की अपरिहार एवं 38 वर्ष 02 माह 24 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा आयु लगभग 65 वर्ष है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बन्दी द्वारा कारित अपराध 11 व्यकित्यों की हत्या एवं समाज पर व्यापक प्रभाव पडने तथा पुरानी रंजिश के पुन: जाग्रत होने तथा अपराध करने में अशक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने के अवसर होने एवं जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने तथा परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की है। दयायाचिका समिति ने अपनी आख्या में अंकित किया है कि बन्दी की आयु, कारित अपराध की प्रकृति, जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी जय प्रकाश (बन्दी संख्या-38493) श्री उमाशंकर राय निवासी-जनपद-जौनपुर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-226/2016/992/(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in